


फर्द अहकाम

र्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

खेती विपक्षी रामलाल
 कदमा 53, 168 एन ए पत्रावली संख्या 58/23 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>09/01/25 पत्रावली पेशा हुई। आ.दि. प्रा.दि 34.1 प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्वकारण कार्यवाही के उपरान्त दि. 09/01/25 को ही स्वकारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली वास्तव में साक्ष्यवादी दिनांक 30/01/25 को पेशा है।</p>	
<p>30/01/25 पत्रावली पेशा हुई। आ.दि. प्रा.दि 34.1 वादी द्वारा वा.पत्र में वादी नसली खानों की नकल जमावें प्रस्तुत नहीं की गई। एवं नसली खानों के पत्रों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः आ.दि. प्रा.दि को आगे के लिए जाया है। नसली खानों की नकल जमावें प्रस्तुत करें एवं नसली खानों के पत्रों को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। वास्तव में पत्रावली को पेशा करने का दि. 01/02/25 पेशा करने नकल जमावें दि. 01/02/25 को पेशा है।</p>	
<p>25/03/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. 01/02/25 पेशा करने के लिए मौका चाहते हैं। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 17/02/25 को पेशा हो। (SDO) मावली</p>	

17/7/25 -
वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप OIR/10 CPC पेज करके
लेखे मौकम चाहते है। अतः 3/8/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 19/8/25
को पेश हो।

(SDO) रावली

19/8/25
वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप OIR/10 CPC पेज करके
लेखे मौकम चाहते है। अतः 3/8/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/9/25
को पेश हो।

(SDO) रावली

23/09/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
वादी को बार - बार आवाजे दिलवाई गई।
समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित
रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) रावली